

[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं० 40 / 2018-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, 11 मई, 2018

सा. का. नि. ----- (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, (52 का 1962) 1962 की धारा 2 की उपधारा (34) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद द्वारा नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के प्रयोजन के लिए यथोचित अधिकारी के कार्य को सौंपता है, यथा:-

क्रम संख्या	निर्दिष्ट अधिकारी
(1)	(2)
1.	प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा;
2.	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा; और
3.	उप आयुक्त, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क लेखा परीक्षा।

[फ़ाइल संख्या 450/100/2017-सीमाशुल्क IV]

(ज़ुबैर रियाज़)  
निदेशक (सीमाशुल्क)